# HRA Fin USUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 210] No. 210] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2012

दूरसंचार टैरिफ (तिरेपनवां संशोधन) आदेश, 2012 (2012 का 5)

सं. 301-39/2012-एफ एण्ड ईए.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार, टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:—

- 1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (तिरेपनवां संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा।
  - (2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड-3 में वर्णित "अनुसूची 1 से 13" शब्दों एवं अंकों को " अनुसूची 1 से 12" शब्दों एवं अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 3. मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची—2 में, "टैरिफ" शीर्ष मद के सामने वर्णित प्रविष्टियों " (6) प्रीपेड सेवा के लिए टैरिफ, खण्ड (एफ) के उप—खण्ड(ii) के परन्तुक में, निम्नलिखित उप—खण्ड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्:—
  - "(ii) प्रत्येक टॉप-अप वाउचर में प्रशासनिक लागत या व्यय के लिए, एक मामूली शुल्क जो कि टॉप-अप वाउचर के खुदरा मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या तीन रुपए, जो भी कम हो, लगाया जाएगा ।"
  - मूल टैरिफ आदेश की अंनुंसूची—13 एवं उसके अंदर की प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

राज पाल, सलाहकार (एफ एण्ड ईए) [विज्ञापन-III/4/142/12/असा.]

टिप्पणी 1:— दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999, अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था, तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:—

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301-4 / 99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
<u> </u>	301-4 / 99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
<b>7</b> ai	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वा	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वा -	301-8 / 2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306—1 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310-1(5) / ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301-9/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310-1(5) / ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310-5(17) / 2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002

19वां	303/3/2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312-7/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
<u>2</u> 1वां	301-6/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312-5 / 2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303 / 8 / 2002 – ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
<u>2</u> 4वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306—2/2003—आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303 / 6 / 2003 – ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301-51/2003-आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301-56 / 2003-आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301-4/2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301-2/2004-आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301-37/2004-आर्थिक दिनांक ७.10.2004
33वां	301-31 / 2004-आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301-34/2005-आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301-2/2006-आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44्वां	301-34/2006-आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301-18/2007-आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301-36/2007-आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301-14/2008-आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301-31 / 2007-आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वा	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50वा	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.04.2012
51वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 20.04.2012
52वां	301-41 / 2012-एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012

टिप्पणी 2:— व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (तिरेपनवां संशोधन) आदेश, 2012 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

### टॉकटाइम टॉप-अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस

प्रोसेसिंग फीस की मौजूदा संरचना 19.04.2012 को अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) (50वां संशोधन) के द्वारा अनिवार्य बनाई गई थी, जिसके अनुसार, 20 रुपए और उससे अधिक मूल्य के टॉप—अप वाउचरों के संबंध में प्रोसेसिंग फीस पर 3 रुपए की उच्चतम सीमा और 20 रुपए से कम मूल्य के टॉप—अप वाउचरों के संबंध में प्रोसेसिंग फीस पर 2 रुपए की उच्चतम सीमा लगाई गई है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में समाज के अपेक्षाकृत गरीब तबकों को प्रौद्योगिकी का लाम देकर, उनकी क्षमता में सुधार करने पर जोर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकरण ने उस तरीके से समीक्षा की, जिसके माध्यम से टीटीओ (50वां संशोधन) द्वारा अनिवार्य की गई प्रोसेसिंग फीस, मार्केट में लागू की जा रही थी। यह पाया गया है कि समस्त सेवा प्रदाताओं द्वारा 10 रुपए के अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) वाले टॉप—अप वाउचरों पर 2 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। अधिक मूल्य के टॉप—अप वाउचरों के संबंध में, सेवा प्रदाता आमतौर पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं और कुछ मामलों में तो मौद्रिक मूल्य, दिए गए अधिकतम खुदरा मूल्य के बराबर या अधिक होता है। यह देखा गया है कि प्रोसेसिंग फीस की निश्चित राशि का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के टॉप—अप वाउचरों की तुलना में छोटे मूल्य के टॉप—अप वाउचरों पर अधिक है।

- 2. प्राधिकरण ने दिनांक 03.08.2012 को एक परामर्श पत्र जारी करके, परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके द्वारा टॉकटाइम टॉप-अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस की मौजूदा संरचना की समीक्षा करने के प्रस्ताव पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थी ताकि इसे विशेषकर निचले स्तर के ग्राहकों के लिए अधिक युक्तिसंगत और किफायती बनाया जा सकें। परामर्श में निम्नलिखित तीन विकल्पों का प्रस्ताव रखा गया था:—
  - (1) प्रोसेसिंग फीस की वसूली के लिए एक स्तरीय वाली संरचना को अनिवार्य बनाना।

- (2) तीन रुपए की उच्चतम सीमा सेहित, अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत पर प्रोसेसिंग फीस यथामूल्य को अनिवार्य बनाना।
- (3) यह आदेश जारी करना कि कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी।
- 3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया। सामान्यतः सेवा प्रदाता, ऊपर प्रस्तावित विकल्पों में से, किसी के भी पक्ष में नहीं हैं, बल्कि उन्होंने सभी टॉप-अप वाउचरों पर प्रोसेसिंग फीस को बढ़ाकर तीन रुपए करने या प्रोसेसिंग फीस को आस्थिगत (फॉर्बेरन्स) रखने का तर्क दिया है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हैं, जिन्होंने विकल्प (2) के पक्ष में टिप्पणी की है या शून्य प्रासेसिंग फीस को पसंद किया है तािक ग्रामीण / अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के कम आय वाले लोगों की सहायता की जा सकें। एक सेवा प्रदाता ने विकल्प (2) के पक्ष में भी अपनी राय प्रकट की है।
- 4. यह नोट किया गया है कि प्रोसेसिंग फीस को चार्ज करने के मौजूदा तरीके के कारण, कम मूल्य के वाउचरों पर प्रतिगामी भार पड़ रहा है। प्राधिकरण महसूस करता है कि टॉप—अप वाउचरों के प्रावधान में शामिल विभिन्न घटकों को प्रोसेसिंग फीस के जिए वसूल करना जरूरी नहीं है। दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ आस्थिगत (फॉर्बेरन्स) के अधीन होने के कारण ऑपरेटरों के पास विनियामक निर्देशों के अध्यधीन टैरिफ प्लान के तहत लेवी के जिए लागतों को वसूल करने का विकल्प मौजूद है। अतः लागत में वृद्धि के आधार पर टॉप—अप वाउचरों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रोसेसिंग फीस की मांग का कोई आधार नहीं है।
- 5. प्रोसेसिंग फीस, एक निश्चित राशि के रूप में या टॉप-अप वाउचर के अधिकतम खुदरा मूल्य के कुछ भाग के रूप में भी वसूल की जा सकती है। प्रोसेसिंग फीस की निश्चित राशि को पारदर्शिता और सरलता की दृष्टि से उचित ठहराया जा सकता है। बहरहाल, प्रोसेसिंग फीस की निश्चित राशि का प्रभाव कम मूल्य के टॉप-अप वाउचरों पर अनुचित ढंग से अधिक है। विभिन्न तथ्यों और परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 30 रुपए तक के मूल्य वाले टॉप-अप वाउचरों के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत के आधार पर उच्चतम सीमा के रूप में प्रोसेसिंग फीस और 30 रुपए से अधिक मूल्य वाले टॉप-अप वाउचरों पर 3 रुपए की प्रोसेसिंग फीस,

जैसा कि परामर्श पत्र में विकल्प (2) के तहत प्रस्तावित है, को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, टॉप—अप वाउचर के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत के आधार पर टॉप—अप वाउचर के लिए प्रोसेसिंग फीस पर उच्चतम सीमा या 3 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, वह होगी। टीटीओ (53वां संशोधन), प्राधिकरण के उपर्युक्त निर्णय को लागू करना चाहता है।

6. 10 रुपए मूल्य के टॉप-अप वाउचरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह दोहराया जाता है कि उपभोक्ता को दस रुपए मूल्य के टॉप-अप वाउचर की पेशकश करने और उपलब्ध कराने का आदेश, जैसा कि टीटीओ (50वें संशोधन) में प्रावधान किया गया है, बरकरार रहेगा।

#### प्रीमियम रेट सर्विस के टैरिफ की समीक्षा करना

- 7: 20.04.2012 को अधिसूचित टीटीओ (51वें संशोधन) में प्रीमियम रेट सर्विस (पीआरएस) की कितपय श्रेणियों के टैरिफ की उच्चतम सीमा निर्दिष्ट की गई हैं। अतः स्पर्धा, प्रतियोगिताओं और वोटिंग में भाग लेने के उद्देश्य से की गई कॉल्स या एसएमएस के लिए लिया जाने वाले शुल्क, लागू स्थानीय शुल्क के चार गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन प्राप्त हुए कि विभिन्न कारणों, विशेषकर स्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने और टेलीविजन तथा रेडियो कार्यक्रमों में वोट करने के लिए की गई कॉल्स और एसएमएस की दरों को, ग्राहक द्वारा लिए गए टैरिफ प्लान के स्थानीय कॉल की दरों और एसएमएम की दरों से लिंक किए जाने की वजह से, इन प्रावधानों को लागू करना कठिन है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर दिनांक 03.08.2012 को परामर्श पत्र जारी करके, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। परामर्श के लिए निम्नलिखित विकल्प रखे गए थे:—
  - (1) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए की गई कॉल्स (प्रति मिनट) और प्रति एसएमएस के लिए 3 रुपए की उच्चतम सीमा को अनिवार्य बनाना।
  - (2) ऐसी कॉल्स और एसएमएस के लिए, टैरिफ की उच्चतम सीमा पर विचार न किया जाए।

- 8. प्राधिकरण द्वारा हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और फीडबैक पर विचार किया गया। समस्त सेवा प्रदाताओं और उनकी एसोसिएशनों ने एक मत से ऐसे पीआरएस के लिए टैरिफ को आस्थिगत (फॉर्बेरन्स) रखने के लिए कहा है। टिप्पणियों में कहा गया है कि ऐसी सेवाएं बुनियादी और यूटीलिटी सेवाएं नहीं हैं और बहुत से मामलों में कंटेंट की उचित राशि शामिल होती है, जिसके मूल्य में भारी अंतर हो सकता है। सेवा प्रदाताओं ने यह भी कहा है कि वे भाद्विप्रा द्वारा विभिन्न विनियमों और दिशानिर्देशों के जिए निर्दिष्ट पारदर्शिता के विभिन्न उपायों को लागू कर रहे हैं। चूंकि दरों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है, इसलिए ग्राहक, सेवा का उपयोग करने या उपयोग नहीं करने के विकल्प की सूचना दे सकते हैं। ग्रीमियम रेट सर्विस के टैरिफ को जब ग्राहक के स्थानीय कॉल शुल्क से जोड़ते हैं, तो इससे लागू करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मामले में कई समस्याएं आती हैं। विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा अलग—अलग स्थानीय कॉल शुल्क वाले टैरिफ प्लान बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अलग—अलग प्लान और सेवाओं हेतु स्थानीय कॉल्स के लिए लागू पल्स दरें भी अलग—अलग हैं। पीआरएस के लिए एक समान पल्स दर, जो आमतौर पर '60 सैकंड' की होती है, पर चार्ज किया जाना होता है और यह पीआरएस की व्यवस्था में शामिल अन्य पक्षों और सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत द्वारा तय समझौते का भाग होगा।
- 9. एक और किंदिनाई यह है कि ज्यादातर अवसरों पर ग्राहकों से वास्तव में उनके टैरिफ प्लान में समान एकल दर से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसका कारण, यह तथ्य है कि पीक / ऑफ पीक, ऑन नेट / ऑफ नेट के लिए स्थानील कॉल्स / एसएमएस के वास्तविक शुल्क में अंतर है और यह ग्राहक द्वारा समय समय पर लिए गए स्पेशल टैरिफ पैक्स (एसटीवी) पर भी निर्भर करेगा। अतः लागू करने में आने वाली किंदिनाइयों के अलावा, ग्राहक के पास पीआरएस लेते समय, उस पर लागू स्थानीय कॉल शुल्क के लेवल के संबंध में स्पष्ट राय नहीं होगी।
- 10. पीआरएस के शुल्क को स्थानीय कॉल दरों से संदर्भ में देखने से पारदर्शिता के उपायों को कार्यान्वित करने में भी कठिनाई आ सकती है, जो अलग से अनिवार्य बनाए गए हैं। अतः प्रसारणकर्ता, कार्यक्रम के दौरान अपने टीवी शो(कार्यक्रमों) और रेडियो कार्यक्रमों में एकल दर बताने में समर्थ नहीं

होंगे क्योंकि ऐसी एक समान दर विद्यमान नहीं है, जो इस तरह से बताई जा सकें। दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 के अनुसार, "प्रीमियम रेट सर्विस तक पहुंच उपलब्ध कराने वाले हर सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी कॉल्स की दरों के बारे में उपभोक्ता को कॉल्स के फलीभूत होने से पहले वॉयस अलर्ट के जिरए बताया जाए...।" इसी तरह, 03.05.2005 को जारी भादूविप्रा के निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता को प्रीमियम रेट सर्विस, सेवा के लिए पल्स रेट/टैरिफ से संबंधित सभी संप्रेषण / विज्ञापनों में प्रकाशित करना अपेक्षित है। तब प्रत्येक ग्राहक को अपने प्लान के लिए स्थानीय कॉल शुल्क का भुगतान करना होगा, जो फिर से परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और एक समान नहीं है इसलिए उपर्युक्त विनियामक आदेशों का अनुपालन करना मुश्कल होगा।

- 11. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि आमतौर पर ऐसे पीआरएस का लाभ ऐसे ग्राहकों द्वारा उठाया जाता है जो शिक्षित हैं और इसमें शामिल वित्तीय निहितार्थों को समझने में समर्थ होते हैं। अतः विनियामक का कार्य पारदर्शिता के उपायों को लागू करने तक सीमित होगा, जिसके द्वारा ग्राहक को शुल्क और वित्तीय परिणामों की जानकारी दी जाती है, बशर्ते कि वह इन सेवाओं को चुनता है। इस संबंध में दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 के तहत यह अनिवार्य बनाया गया है कि प्रीमियम रेट सर्विस तक पहुंच उपलब्ध कराने वाले हर सेवा प्रदाता को, यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी कॉल्स की दरों के बारे में उपभोक्ता को कॉल्स के फलीभूत होने से पहले वॉयस अलर्ट के जिरए बताया जाए।
- 12. टीटीओ (51वां संशोधन) के जिए निर्दिष्ट की गई टैरिफ की उच्चतम सीमा पीआरएस की केवल कुछ श्रेणियों पर लागू थी, जबिक अन्य पीआरएस की अधिकांश श्रेणियां का आस्थगन(फॉर्बेरन्स) जारी रखा गया था। टैरिफ की उच्चतम सीमा को लागू करने में आ रही दिक्कतों और परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, स्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने और टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों में वोट करने के लिए की गई कॉल्स/एसएमएस के टैरिफ को आस्थिगत(फॉर्बेरन्स) रखने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि यह अन्य प्रीमियम रेट सर्विस के मामले में भी है।

#### TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2012

# The Telecommunication Tariff (Fifty Third Amendment) Order, 2012 (No. 5 of 2012)

No. 301-39/2012-F&EA.— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:

- 1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Fifty Third Amendment) Order, 2012.
  - (2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In clause 3 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the principal tariff order), for the word and figures "Schedule I to XIII", the word and figures "Schedule I to XIII" shall be substituted.
- 3. In Schedule II to the principal tariff order, under the heading "Tariff", in the entries occurring against the item "(6) Tariff for prepaid service", in the proviso, for sub-clause (ii) of clause (f), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
  - "(ii) a nominal fee, not exceeding ten percent of maximum retail price of top up voucher or three rupees, whichever is less, shall be levied towards administrative cost or expenses for each top up voucher."
- 4. Schedule XIII to the principal tariff order and entries thereunder shall be omitted.

  RAJ PAL, Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/142/12/Exty.]

Note 1:— The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Amendment No.	Notification No. and Date
1 st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2 <sup>nd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28:7.1999
5 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10 <sup>th</sup>	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12 <sup>th</sup>	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
ľ3 <sup>th</sup>	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16 <sup>th</sup>	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17 <sup>th</sup>	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20 <sup>th</sup>	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22 <sup>nd</sup>	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23 <sup>rd</sup>	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27 <sup>th</sup>	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28 <sup>th</sup>	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 <sup>th</sup>	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003

30 <sup>th</sup>	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 <sup>nd</sup>	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 <sup>nd</sup>	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 <sup>rd</sup>	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44 <sup>th</sup>	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45 <sup>th</sup> .	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 <sup>th</sup>	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 <sup>th</sup>	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 <sup>th</sup>	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 <sup>th</sup>	No. 301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50 <sup>th</sup>	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51st	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52 <sup>nd</sup>	301-41/2012-/F&EA dated 19.09.2012

Note 2:— The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Fifty Third Amendment) Order, 2012.

#### **EXPLANATORY MEMORANDUM**

#### Processing Fee on talktime top up vouchers

The existing structure of Processing Fee was mandated vide TTO(50th Amendment) notified on 19.04.2012 as per which ceiling on Processing Fee is Rs.3/- in respect of top-up denominations of Rs.20/and above and Rs.2/- for top-up denominations below Rs.20/-. The National Telecom Policy, 2012 has emphasised the need to enhance the ability of the poorer sections of the society, both in rural and urban areas, to benefit from technology. In this context, the Authority looked at the manner in which the Processing Fee mandated vide TTO (50th Amendment) was being implemented in the market. It was observed that Processing Fee of Rs.2/- is being charged on top-up vouchers having Maximum Retail Price (MRP) of Rs. 10/- by all service providers. respect of higher denomination top-up vouchers the service providers do not, generally charge any Processing Fee and also in some cases monetary value equal to or greater than the MRP is made available. It was seen that the impact of fixed amount of Processing Fee is relatively more on top-up vouchers of smaller denominations as compared to higher top-up vouchers.

- 2. The Authority had initiated a consultation process by issuing a consultation paper dated 03.08.2012 seeking views of stakeholders on the proposal to review the present structure of Processing Fee on talktime top-up vouchers so as to make it more equitable and affordable especially to the lower end subscribers. Following three options were proposed for consultation:-
  - (i) Mandating a tiered structure of levying processing fee.
- (ii) Mandating processing fee ad valorem at ten per cent of MRP with a ceiling of rupees three.

f '

- (iii) Mandating that there should not be any processing fee at all.
- 3. Comments received from stakeholders have been considered. The service providers in general have not favoured any one of the above proposed options, rather argued for enhancing Processing Fee on all top-up vouchers to Rs.3/- or placing Processing Fee under forbearance. A few individuals who have furnished comments have favoured option (ii) or preferred NIL Processing Fee so as to help the low income people from rural/semi-urban areas. One service provider has also expressed views in favour of option (ii).
- 4. It has been noted that the present manner of charging Processing Fee leads to a regressive burden on lower denomination vouchers. The Authority feels that various elements of cost associated with the provision of top-up vouchers need not necessarily be recovered by way of Processing Fee. Tariff for telecommunication services being under forbearance, the operators have the flexibility to recover costs through levy of tariff for various items under tariff plan, subject to the prevailing regulatory prescriptions. Thus, there is no basis for the demand for a higher Processing Fee on top up vouchers on the ground of increase in cost.
- 5. Processing fee could be levied as a fixed amount or as a certain proportion of MRP of the top up voucher. The fixed amount of processing fee is favoured from the point of view of transparency and simplicity. However, the impact of fixed amount of processing fee is unreasonably high on smaller denomination top up vouchers. After considering various facts and also the feedback received during the consultation process, the Authority has decided to mandate the processing fee on top up vouchers as a ceiling based on 10% of the MRP of top up voucher with denominations up to Rs.30 and Rs.3 for top up vouchers with denominations more than Rs.30, as proposed under option (ii) in the

consultation paper. As per this determination, there shall be a ceiling on processing fee for top up vouchers based on 10% of MRP of the top up voucher or Rs.3, whichever is less. The TTO (53<sup>rd</sup> Amendment) seeks to implement the above decision of the Authority.

6. In order to ensure provision of top up vouchers in denomination of Rs.10, it is reiterated that the mandate to offer and make available to the consumer top-up voucher denomination of rupees ten as envisaged in TTO (50th Amendment), will continue to be in operation.

#### Review of Tariff for Premium Rate Services

- 7. The TTO 51st Amendment notified on 20.04.2012 specified ceiling tariff for certain categories of Premium Rate Services (PRS). Thus, the calls made and SMS sent to participate in contests and competitions and voting shall not be charged more than four times of applicable local charges. Representations were received that these provisions were difficult to implement due to several reasons, particularly linking the rates for calls and SMS made to participate in contests and competitions and to vote in television and radio programmes with the rates for local call charges and SMS charges in the tariff plan opted by the subscriber. In this background, a consultation process was initiated to seek the views of stakeholders on the subject by issuing a consultation paper dated 03.08.2012. Following options were placed for consultation:
  - (i) Mandating a ceiling of Rs.3/- for calls (per minute) and per SMS made for the above purposes/.
  - (ii) Doing away with the tariff ceiling for such calls and SMSs.
- 8. The Authority has considered the comments and feedback received from the stakeholders. All the service providers and their associations have unanimously stated that tariff for such PRS should be kept under

forbearance. Views have been expressed that such services are not basic or utility services and in many cases involve a fair amount of content, the value of which may vary widely. The service providers have also stated that they are implementing several transparency measures specified by TRAI through various Regulations and guidelines. Since the rates are transparently conveyed, subscribers can make an informed choice for using or not using the service. Tariff for Premium Rate Services, when related to the local call charges of the subscriber, gives rise to several problems both in terms of difficulty in implementation and ensuring transparency. There are quite a large number of tariff plans offered by different operators having different Local Call Charges. The pulse rate applicable for local calls are also different for different plans and services. Charging for PRS have to be at a uniform pulse rate which is generally '60 seconds' and this would be part of the negotiated agreement between service providers and other parties involved in the provision of PRS.

- 9. Another difficulty is that the subscriber is not actually charged at a uniform single rate in his tariff plan on most of the occasions. This is due to the fact that the actual charges for local calls/ SMS would be different for peak/ off peak, on-net/ off-net and also depending on the special tariff packs (STVs) availed by him from time to time. Thus, in addition to the difficulty in implementation, the subscriber will also not have a clear idea on the level of the local call charges applicable for him at the time of availing the PRS.
- 10. Linking the charges for PRS to the local call rates may also make it difficult to implement the transparency measures which have been separately mandated. Thus, the broadcasters will not be able to communicate a single rate on their TV shows and radio programmes during the programme, since there is no uniform rate that can be so conveyed. The Telecom Consumer Protection Regulation, 2012 states

"Every service provider providing or giving access to a Premium Rate Service shall ensure that the rate of such call is conveyed to the consumer through a voice alert prior to the materialization of the call...". Similarly, the TRAI Direction issued on 03.05.2005 requires the service providers to publish in all communications/ advertisements relating to Premium Rate Services, the pulse rate/ tariff for the service. When each subscriber is required to pay local call charges of his plan which again is of dynamic nature and not uniform, compliance of the above regulatory mandates would become difficult.

- 11. The Authority has also noted that generally such PRS are availed by customers who are educated and capable of understanding the financial implications involved. Therefore, the regulatory concern would be limited to enforcing the transparency measures whereby the subscriber is made aware of the charges and financial consequences, if he chooses to avail these services. In this regard, under the Telecom Consumer Protection Regulation, 2012, it has been mandated that every service provider providing or giving access to a Premium Rate Service shall ensure that the rate of such call is conveyed to the consumer through a voice alert prior of the materialisation of the call.
- 12. The ceiling tariff specified through the TTO (51st Amendment) was applicable only to a few categories of PRS while vast majority of other PRS continued to be under forbearance. Keeping in view the practical difficulties in implementing the ceiling tariff and the feedback received during the consultation process, it has been decided to keep the tariff for calls/SMS made to participate in contests and competitions and to vote in television and radio programmes under forbearance, as is the case with other Premium Rate Services.